21 सितंबर 13

सेवा में,
श्रीमती चंद्रेश कुमारी कटोच,
केंद्रीय संस्कृति मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली.

विषय : ताजमहल के रात्रि दर्शन से जुड़े विभिन्न विषयों पर सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेने के लिए अनुरोध।

माननीय महोदया,

अमर प्रेम की अजीम इमारत ताजमहल पर सदियों से मेले लगते रहे हैं। कभी उर्स का तो कभी शरद पूर्णिमा की 'चमकी' देखने का लख्खी मेला। यह सिलसिला 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. इंदिरा गांधी की हत्या के बाद आतंकवादियों द्वारा ताज को उड़ाने की मिली धमकी से थम गया था। धमकी के चलते सुरक्षा कारणों से मून लाइट मेला बंद कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रूमा पाल, जस्टिस एस. बी. सिन्हा और जस्टिस एस. एच. कपाड़िया की बेंच के आदेश दिनांक 25 नवंबर 2004 से पूर्णिमा की रात को ताज पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। प्रयोग सफल रहने पर इसे स्थाई करने के आदेश वर्ष 2005 में कर दिए गए।

1. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं0 13381/1984 (एम0सी0 मेहता बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया) में उ0प्र0 शासन द्वारा प्रस्तुत आई0ए0 सं0 426 व 427 के क्रम में दिनांक 25.11.2004 को रात्रि में ताजमहल दर्शन की अनुमति 19 शर्तों के अंतर्गत प्रदान की गई और इस आदेश की पुष्टि मा0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश दि0 14.2.2005 व 21.11.2005 में की गई। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई प्रमुख शर्तें (जिसके संबंध में पुर्नविचार आवश्यक है) निम्न थीं -

| क्र.सं. | शर्त संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | शर्त सं0 3 | ताजमहल में प्रवेश व निकास उसके पूर्वी द्वार से ही अनुमन्य होगा। |
| 2. | शर्त सं0 4 | ताजमहल के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित लाल पत्थर के प्लेटफॉर्म से ही ताजदर्शन अनुमन्य होगा। |
| 3. | शर्त सं0 5 | 50 व्यक्तियों से अधिक का समूह एक बार में ताजदर्शन नहीं कर सकता है। रात्रिकालीन ताजदर्शन के लिए कम्प्यूट्रीकृत इलैक्ट्रॉनिक टिकट व बोर्डिंग पास 24 घण्टे पूर्व दर्शकों को निर्गत किया जायेगा। |
| 4. | शर्त सं0 8 | 50 व्यक्तियों के प्रत्येक समूह को 30 मिनट की अवधि तक ही देखने की अनुमति होगी। |

उक्त शर्तों व प्रतिबन्धों के चलते पर्यटकों को असुविधायें हैं और ताजमहल का रात्रिदर्शन भी लोकप्रिय नहीं हो सका है

2. रात्रि दर्शन कर रहा है 'निराश'

रात्रि दर्शन कार्यक्रम पर पर्यटकों की बेरुखी की कई वजह हैं। पर्यटकों को मुख्य प्रवेश द्वार के चबूतरे से आगे जाने की अनुमति नहीं होना, उनमें से बड़ी वजह है। ताज का मुख्य गुंबद यहां से 300 मीटर दूर है। बहुत दूर होने के कारण ताज के चमकीले पत्थरों की चमक देखना नामुमकिन है। रुहानी भावना और सौंदर्यबोध दोनों पहलुओं से पर्यटकों के लिए चमक की अहमियत है। नजदीक से देखकर आने वाली भावनात्मक संतुष्टि न मिलने से पर्यटक अपने को ठगा हुआ महसूस करता है। पर्यटकों की मांग है कि ताज के चबूतरे तक जाने दिया जाना चाहिए। तभी वह मुख्य डोम पर पड़ने वाली चन्द्र किरणों से होने वाली रंग-बिरंगी चमक का अहसास कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 1984 की धमकी से पहले हजारों-लाखों लोग चमकी मेले में ताज के चबूतरे तक जाते रहे हैं।

3. उसी दिन टिकट की हो सुविधा

ताज देखने आने वाला पर्यटक ज्यादातर सुबह आगरा आकर ताज, किला, फतेहपुर सीकरी, सिकन्दरा, ऐत्मादुद्दौला आदि देखता है। स्वाभाविक है कि एक दिन में सारे

पर्यटन स्थल नहीं देखे जा सकते हैं। ऐसे में वह ताज को रात में सुकून से देखना चाहता है। काफी पर्यटक देर से आने पर ताज देखे बिना ही लौट जाते हैं। वह भी रात में देखकर अपनी यात्रा सफल बनाना चाहते हैं। आर्थिक रूप से समृद्ध पर्यटक ज्यादातर विदेशी होता है। वह दिन में भीड़-भाड़ में देखने के बजाय रात में शांति के साथ निहारना चाहता है। ऐसे हालात में एक दिन पहले टिकट लेना सरल नहीं है। यह तभी संभव है जब पूरा ट्रिप इंटरनेट के माध्यम से पूर्व नियोजित हो। ताज का रात्रि दर्शन 8.30 बजे से शुरू होता है। यदि शाम पांच बजे तक भी उसी दिन टिकट दे दिए जाएं तो काफी पर्यटक दिन के बजाय रात में देखना चाहेंगे।

4. दर्शकों को मिलता है काफी कम समय

ताज के रात्रि दर्शकों को काफी कम समय मिलता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रात्रिकालीन दर्शकों के लिए 30 मिनट निर्धारित किए हैं। जाहिर है सात समंदर पार से आने वाले पर्यटकों को इतने कम समय में चांदनी रात में निहारने की संतुष्टि नहीं मिलती। हकीकत में उन्हें तीस मिनट भी नहीं मिलते। पूर्वी गेट से मुख्य गेट तक आने में पांच से सात मिनट लगते हैं। ऐसा ही वापिसी में होता है। पूरा ग्रुप वापिस अंदर आ जाता है तब दूसरे ग्रुप को प्रवेश मिलता है। यानी चौदह मिनट ताज के पूर्वी गेट से अंदर तक आने और जाने में निकल जाते हैं। कुल मिलाकर सिर्फ सोलह मिनट के दीदार वह भी तीन सौ मीटर दूर से निराशा का भाव ही जगाते हैं।

5. पर्यटकों की मांग: एक घंटे निहारूं ताज को

पर्यटन से जुड़े लोगों की बात पर विश्वास किया जाए, तो वह बताते हैं कि पर्यटक कम से कम एक घंटे का समय चाहते हैं। यह ठीक है कि पूर्णिमा रोज नहीं होती। समय कम होता है और चाहने वाले अधिक। ऐसे में सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक घंटा या कम से कम 45 मिनट देने की अनुमति की गुहार लगानी चाहिए।

6. एक ग्रुप में संख्या बढ़ाकर हो सकती है भरपाई

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रात्रिकाल में देखने की अनुमति देते समय तत्कालीन सुरक्षा का ध्यान रखते हुए एक ग्रुप में पचास लोगों को देखने की अनुमति दी थी। पहली अनुमति

के बाद सब कुछ सरल, सहज रहने पर दुबारा अनुमति को दुबारा देकर अनिश्चितकालीन के लिए बढ़ाया था। रात्रि दर्शन शुरू होने से लेकर आज तक कोई छुटपुट घटना भी नहीं घटी। आगरा में ताज महल पर शरद पूर्णिमा पर लख्खी मेला लगता रहा है। हजारों-लाखों की भीड़ के बावजूद कभी कोई घटना का इतिहास नहीं है। ऐसे में सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट से एक ग्रुप में दो सौ पर्यटकों की सीमा निर्धारित करने की मांग कर सकती है। इससे कम समय में ज्यादा पर्यटक रात्रि दर्शन कर सकेंगे।

7. अभी काफी संभावना हैं रात्रिदर्शन में

माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अभी जितने लोगों को देखने की अनुमति है, उतने भी नहीं देख रहे हैं। यदि चबूतरे तक जाने की अनुमति, उसी दिन टिकट, एक घंटा समय जैसी दर्शकों की मांग पर विचार किया जाए और सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लाने में सफल हो जाए तो दर्शकों की संख्या कई गुना बढ़ सकती है। विगत वर्षों में रात्रि दर्शकों की संख्या निम्न रही।

| वर्ष | भारतीय @510 रु. | विदेशी @750 रु. | बच्चे @500 रु. | कुल बिके टिकट |
|---|---|---|---|---|
| 2007-08 | 1414 | 1788 | 268 | 3470 |
| 2008-09 | 1220 | 1322 | 169 | 2711 |
| 2009-10 | 1833 | 2241 | 336 | 4410 |
| 2010-11 | 1818 | 1966 | 362 | 4146 |
| 2011-12 | 2763 | 2803 | 378 | 5944 |
| 2012-13 | 4649 | 3262 | 944 | 8855 |

टिकट बिक्री संख्या वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) के आधार पर

उपरोक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 400 व्यक्ति प्रति दिन की क्षमता का भी उपयोग नहीं हो पाया है। पांच दिन के हिसाव से एक माह में अधिकतम 2000 लोगों के रात्रि दर्शन की व्यवस्था है। सालभर में लगभग 20,000 लोग

ताज को चांदनी रात में निहार सकते हैं। सिर्फ 2012-13 में ही 8,855 के अधिकतम आंकड़े पर पहुंच पाया है।

8. रात्रि ठहराव को मिलेगा बढ़ावा

आगरा क्षेत्र के पर्यटन से जुड़े सभी व्यवसाय के लोगों का मानना है कि आगरा में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने में रात्रि ठहराव सबसे अहम कारक है। अभी तक ऐसा कोई प्रयास नहीं हो पाया है, जिससे रात्रि ठहराव को बल मिलता हो। ताज का रात्रि दर्शन प्राकृतिक रूप से प्रभावी भूमिका अदा कर सकता है। रात्रि ठहराव कम रहने से पर्यटन व्यवसाय में ताज होने के बावजूद पड़ौसी राज्य ज्यादा राजस्व अर्जित कर रहे हैं।

9. राजस्व वृद्धि के लिए सरल उपाय

ताज के रात्रि दर्शन में सबसे अधिक सात सौ पचास रुपये टिकट होने से यह अधिक राजस्व अर्जन का सरल उपाय है। रात्रि दर्शन में बच्चों की भी टिकट लगती है। वयस्क विदेशी के रात्रिदर्शन से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 250 रुपये और आगरा विकास प्राधिकरण को 500 रुपये की प्राप्ति होती है। दिवस समय में दर्शन से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को भारतीय एवं सार्क देशों के दर्शकों से मात्र 10 रुपये ही प्राप्त होते हैं। उनमें भी पंद्रह साल तक के बच्चे निशुल्क होते हैं।

10. शाहजहां करता था विहार

किंवदंती है कि शाहजहां चांदनी रातों में अपनी बेगम की याद ताज के खूबसूरत अक्स को यमुना में निहार कर करता था। वहीं वह चांद को ताज में लगे रंगीन पत्थरों की चमक में मुमताज को ढूंढने की कोशिश करता था। शाहजहां और मुगल शासन के बाद इसने मेले का रूप ले लिया। इस मून लाइट मेले की शुरूआत का कोई लिखित इतिहास नहीं है।

11. हर माह पांच दिन रात में खुलता है ताज

रात्रि में चांदनी में नहाते ताज का नजारा सबसे अनूठा माना जाता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत हर माह पूर्णिमा से पहले दो दिन, पूर्णिमा और बाद के दो दिन

यानी कुल पांच दिन रात्रि दर्शन किया जाता है। यदि इस बीच शुक्रवार या रमजान हो, तो ताज नहीं खुलता है।

12. शिल्पग्राम से पूर्वीगेट तक रास्ता होता है 'सील'

पूर्णिमा के पांच दिन होने वाले रात्रि दर्शन से ताजगंज के निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ताज के रात्रि दर्शन की अनुमति माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। इस अनुमति में रास्ता सिर्फ पूर्वी गेट होगा। ताज के रात्रि दर्शकों को पहले शिल्पग्राम में सुरक्षा जांच के बाद बैटरी चालित बसों से ताज के पूर्वी गेट तक लाया जाता है। इस दौरान ताज के सबसे नजदीक बसे नगला पैमा, गढ़ी बंगस, अहमद बुखारी सहित दर्जनभर गांवों के निवासी रात 08 बजे से देर रात 1 बजे तक अपने-अपने घरों में कैद हो जाते हैं। प्रतिबंध के चलते घरों ने निकल कर पूर्वी गेट वाली सड़क पर आने की अनुमति नहीं है। परिवार में कोई बीमार हो तब भी गुजरने की अनुमति नहीं मिलती। इनके निकलने का एकमात्र रास्ता ताज पूर्वी गेट के सामने से निकलता है।

13. खत्म हो जाएगी निवासियों की परेशानी

ताज रात्रि दर्शन पश्चिमी गेट से कराए जाने से कोई आबादी प्रभावित नहीं होगी। इस मार्ग पर कोई मकान-दुकान न होने से स्थानीय निवासियों का यह प्रमुख रास्ता नहीं है। सुरक्षा लिहाज से भी यह प्रस्ताव ज्यादा बेहतर है।

संस्कृति मंत्री से अनुरोध है कि -

केंद्र सरकार की ओर से रात्रि दर्शन में माननीय सुप्रीम कोर्ट की रिट याचिका संख्या 13381/84 में पारित आदेश दिनांक 14.02.2005 व 21.11.2005 में आवश्यक संशोधन कराकर अनुमति लेने के प्रयास कर आगरा को अनुग्रहीत करें। अनुमति के लिए कार्यदायी संस्थाओं यथा केंद्रीय पर्यटन निदेशालय, ताज की सुरक्षा में लगी सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्युरिटी फोर्स (सीआईएसएफ), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआइ), उत्तर प्रदेश शासन को एक साथ बैठकर अपनी बात तय करके माननीय न्यायालय के समक्ष रखने की आवश्यकता है।

| चक्रेश जैन | के. सी. जैन | वाई. के. गुप्ता | पूरन डाबर |
|---|---|---|---|
| कोषाध्यक्ष | सचिव | उपाध्यक्ष | अध्यक्ष |

| अशोक जैन | गुलाब लधानी | प्रह्लाद अग्रवाल | राकेश गर्ग |
|---|---|---|---|
| सदस्य | सदस्य | सदस्य | संयुक्त सचिव |